

कार्यालय ज्ञाप

इस कार्यालय के पत्रांक सी-3/ज0सू0प्र0/फा-15/2/ दिनांक 25-02-2013 में संशोधन करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-19(1) के अन्तर्गत जनपद, मण्डल एवं मुख्यालय स्तर पर नामित पदेन जन सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अनुश्रवण करने हेतु जनपद, मण्डल एवं मुख्यालय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों को निम्न विवरणानुसार पदेन प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है:-

- (अ) जनपद स्तर पर- सहायक आयुक्त एवं जिला सहायक निबन्धक, सहकारिता।
(ब) मण्डल स्तर पर- उपायुक्त एवं उपनिबन्धक/संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता।
(स) मुख्यालय स्तर पर-अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(प्रशासन), सहकारिता।

ह 0
(किशन सिंह अटोरिया)
लोक प्राधिकारी/
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता उ0प्र0

कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता लखनऊ
पत्रांक C-9 /ज0सू0प्र0/फा-15/3/ लखनऊ: दिनांक 09/9/ अमस्त: 2016

- प्रतिलिपि:- अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(प्रशा0), सहकारिता उ0प्र0/प्रथम अपीलीय अधिकारी, मुख्यालय।
 - 2- समस्त अपीलीय अधिकारी, जनपद/मण्डल.....।
 - 3- समस्त जन सूचना अधिकारी, सहकारिता उ0प्र0, जनपद/मण्डल/मुख्यालय.....।
 - 4- समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता/क्षेत्रीय सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक/उपायुक्त एवं उपनिबन्धक/संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता।
 - 5- समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0/योजनाधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी, मुख्यालय।
 - 6- संयुक्त सचिव, सहकारिता अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
 - 7- उपसचिव/जन सूचना अधिकारी, अनुसचिव, सहकारिता अनुभाग-1, 2 व 3 उ0प्र0 शासन।
 - 8- अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, सहकारिता(कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
 - 9- रजिस्ट्रार, मा0 राज्य सूचना आयोग उ0प्र0, 7/7ए आर0टी0आई0 भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

(हीरालाल यादव)

अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(प्रशा0),
सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ।